उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी–**47** /ऋण/एनबीसीएफडीसी/2017–18 दिनांक–**08.09.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– एनबीसीएफडीसी की योजनाओ में ऋण वितरण विषयक।

आप अवगत ही है कि बैंक की शाखाओं द्वारा एनबीसीएफडीसी की योजनाओं में वर्ष 2014 से निर्धारित शर्तो के अधीन पात्र लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जा रहा है। इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण करने हेतु प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–76/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2013–14 दिनांक 04.03.2014, परिपत्र संख्या सी–16/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2014–15 दिनांक–04.06.2015, परिपत्र संख्या सी–38/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2014–15 दिनांक–24.07.2015 एवं परिपत्र संख्या सी–45/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2014–15 दिनांक–13.08.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से एनबीसीएफडीसी, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक NBCFDC/PROJ/SCA/2017/2598-2600 July 20, 2017 के द्वारा विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित करते हुए ऋण वितरण हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है। योजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	योजना का नाम	योजना के क्षेत्र	अधिकतम ऋण सीमा	ब्याज दर	अधिकतम ऋण अवधि	पात्र लाभार्थी
1	टर्म लोन (सामान्य ऋण)	अ– कृषि एवं कृषि सम्बन्धित	रू0 5.00 लाख	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		ब–लघु उद्योग एवं परम्परागत व्यवसाय	रू0 5.00 लाख	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		स– सेवा सम्बंधी क्षेत्र	रू0 5.00 लाख	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		द– परिवहन क्षेत्र	रू0 5.00 लाख	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		य– शिक्षा ऋण (भारत में)	रू0 10.00 लाख	4 %	12 वर्ष	पुरूष/महिला
		र– न्यू स्वर्णिमा	रू0 1.00 लाख	5 %	7 वर्ष	महिला
2	सूक्ष्म ऋण	कृषि सम्पदा	रू0 0.50 लाख	5 %	4 वर्ष	पुरूष/महिला

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार योजना के क्षेत्रानुसार विभिन्न उद्देश्यों में ऋण वितरण करते समय निम्न दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय :–

1. राज्य के दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य ही लाभार्थी होगें।
2. पात्र लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रू0 98000/– से अधिक नही होनी चाहिए।
3. प्रार्थी का आय एवं जाति प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी अर्थात तहसीलदार स्तर से कम न हो के द्वारा निर्गत किया होना चाहिए।
4. ऋण वितरण ऐसे उद्देश्यों में ही किया जाय, जिनमे वसूली मासिक/त्रैमासिक आधार पर सुनिश्चित हो सके।
5. बैंक के परिपत्र संख्या सी–38 दिनांक 24.07.15 के अनुसार बंधकपत्र निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. इन विशेष योजनाओं में वितरित ऋणों की यदि निर्धारित तिथि को किश्त/किश्तों की अदायगी ऋणी सदस्य द्वारा नही की जाती है अर्थात किश्त/किश्ते बकाया हो जाती है तो बकाया किश्त/किश्तों पर निर्धारित तिथि से अदा करने की तिथि तक ब्याजदर 9.30 % से ब्याज की वसूली की जाएं।
7. इन विशेष योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखीय सूचनाएं जैसेः– ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय से प्राप्त धनराशि, ऋण वितरण, वसूली की धनराशि तथा वसूली धनराशि को प्रधान कार्यालय के लेखा अनुभाग को प्रेषण करने की प्रवृष्टियां शाखा के जनरल लेजर में मदवार अलग–अलग अंकित की जाएं।

8. ऋण के सापेक्ष प्रतिभूति बैंक द्वारा जारी समय–समय पर परिपत्रों के अनुसार बंधक पत्र निष्पादन एवं गारण्टी डीड से किया जाएं।
9. एनबीसीएफडीसी, नई दिल्ली के पत्रांक NBCFDC/PROJ/AADHAR/2017-18/2930-3019 August 10, 2017 के अनुसार पात्र लाभार्थी का आधार कार्ड की प्रति अवश्य ली जाएं तथा प्रार्थनापत्र एवं ऋण खाते में विवरण के0वाई0सी0 नार्म्स के अनुसार प्राप्त करते हुए अंकित किये जाय।
10. शेष ऋण वितरण प्रक्रिया बैंक के निर्धारित नियमों एवं समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पादित की जाएं।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि टर्म लोन(सामान्य ऋण) योजना के अन्तर्गत योजना क्षेत्र के बिन्दु ''अ से द'' पर उल्लेख क्षेत्र में प्रोजेक्ट की आर्थिक स्वाश्रयिता, लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता एवं ऋणराशि से सृजित सम्पति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रकरण में रू0 5.00 लाख से अधिक तथा अधिकतम रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) तक का ऋण वितरण **ब्याजदर 7 %** पर किया जा सकता है। अतः संदर्भित इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण करते समय पूर्णतया गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं सदपयोगिता का अवश्य ध्यान रखा जाएं। शाखा द्वारा इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण प्रधान कार्यालय से प्राप्त धनराशि से ही किया जाय, वसूली एवं अन्य धनराशि से कदापि न किया जाय। इन विशेष योजनाओं में वितरित ऋणों एवं वसूली की सूचना संलग्न प्रारूपों पर सप्ताहिकी विवरणपत्र के साथ तथा सदुपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर पाक्षिक रूप से प्रधान कार्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–

1– प्रारूप–''क'' (पूर्व प्रेषित सप्ताहिकी विवरणपत्र सी–3)
2– प्रारूप 'ख' (टर्म एवं सूक्ष्म ऋण विवरणपत्र एवं वसूली)
3– सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्रारूप।
4– प्रधान कार्या0 से धनमांग पत्र।

ह0/–
(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारी/योजनाधिकारी,उ0प्र0 सह0ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय/प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।
4. समस्त सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त/उपनिबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक।
7. प्रबन्ध निदेशक, एनबीसीएफडीसी, पंचम तल, एन0 सी0 यू0 आई0 बिल्डिंग, 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, पोस्ट बाक्स नं0 4617, नई दिल्ली –110016
8. निजी सचिव(आयुक्त एवं निबन्धक) सहकारिता, को आयुक्त एवं निबन्धक महोदय, के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव (प्रबन्ध निदेशक) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
10. निजीसचिव(सभापति)उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0 का0, लखनऊ को मा0 सभापति के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव(प्रमुख सचिव सहकारिता), को प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन के अवलोकनार्थ।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

ह0/–
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महा प्रबन्धक(प्रशा0/ऋण)